10/5/23 पत्रावली महंगाई राहत कैम्प एंव प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत अमरगढ़ मे पेश हुई। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षीगण अनुपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

हुक्मीचन्द रोहेलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

Signature Not Verified

Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 14:17:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 73/23 प्रा. पत्र

1– श्री भवरलाल पुत्र नन्दा माली निवासी हरिपुरा तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री गोपाल पुत्र नानुराम कुमावत निवासी हरिपुरा तहसील माण्डल वगैरा
(प्रतांकित प्रा. प. संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक– 10/05/2023

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 112/2, 113, 115, 117 कुल किता 4 रकबा 0.3162 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10/04/2023 को पंजीवद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का चिताम्बा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं 112/2, 113, 115, 117 कुल किता 4 रकबा 0.3162 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] को 500/- रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023

Signature Not Verified
Digitally signed by Hukmichand Rohalaniya
Date: 2023.12.28 14:17:36 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी को जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2023